

पत्रांक.....

प्रेषक,

प्राचार्य,  
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,  
मुजफ्फरपुर।

सेवा में,

अधीक्षक,  
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल,  
मुजफ्फरपुर।

मुजफ्फरपुर, दिनांक.....

विषय:- जूनियर रेजिडेन्ट के मानदेय के भुगतान के संबंध में।

प्रसंग:- स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या 399(17) दिनांक 09.04.2020 एवं आपके पत्रांक 1574 दिनांक  
- 21.04.2020 के आलोक में

महाशय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में आपको सूचित करना है स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या 399(17) दिनांक 09.04.2020 के आलोक आपने अपने पत्रांक 1574 दिनांक - 21.04.2020 द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना के कंडिका 2 के अनुसार यह अंकित है कि " किसी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में जूनियर रेजिडेन्ट का पद अधीक्षक के शीर्ष में न होकर प्राचार्य के शीर्ष के अन्तर्गत सृजित हो, जो वैसी स्थिति में उनके मानदेय का भुगतान राशि का भुगतान संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य विभाग से प्राप्त आवंटन के विशेष अदायगी मद से करेंगे एवं इसकी सूचना विभाग को देगे।"

उक्त अधिसूचना के आलोक में आपको सूचित करना है कि इस संस्थान के जितने भी जूनियर रेजिडेन्ट के पद स्वीकृत है, वह प्राचार्य के शीर्ष के अन्तर्गत सृजित है, इस लिए आपसे अनुरोध है कि जितने भी जूनियर रेजिडेन्ट आपके यहाँ योगदान देकर कार्यरत है, का निजी संचिका अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाये। ताकि उनके मानदेय के भुगतान हेतु अग्रतर कार्यवाई की जा सके।

विश्वासभाजन  
30/04/2020  
प्राचार्य,

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,  
मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक..... 1204/20 ..... / मुजफ्फरपुर, दिनांक..... 30/04/2020 .....

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, विहार सरकार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- बरसर/कार्यालय के लेखाशाखा, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं  
एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कालेज के वेबसाईट हेतु।

30/04/2020  
प्राचार्य,

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,  
मुजफ्फरपुर